

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय- साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ.ग.)

फोन नं. 07759-221288 फैक्स नं. 07759-221929 पो.बाक्स नं.-12 पिन कोड-498011


Website : www.korbamunicipal.in

Email : Corporationkorba@gmail.com

प्रारूप-नौ

(देखिये नियम-11)

## कालोनी के विकास की अन्तिम अनुमति



फा.क./11/50/भवन अनुज्ञा शाखा/2023

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1958 और उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (कालोनईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्तों) नियम 2013 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अन्वयेन रहते हुए कालोनाईजर मेसर्स सृजन बिल्डर्स भागीदार श्री अशोक अग्रवाल एवं अन्य को मूनि खण्ड कमांक 13552 कुल रकबा 0.384 हेक्टेयर मूमि (0.86 एकड़, 3484.76 वर्ग मीटर) बुधवारी बाज़ार के पास गजानन साई नॉट्स के पीछे प.ह.नं0 16 रा.नि.मं0 एवं तहसील कोरबा जिला-कोरबा में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत विकास अनुज्ञा कमांक 1031 दिनांक 04.10.2023 अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए आवासीय प्रायोजन के मू-खण्ड विकास को क्रियान्वित किये जाने की अन्तिम अनुमति प्रदान की जाती है।

1. शहरी मू सीमा अधिनियम 1976 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर मूनि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।
2. छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा के शर्तों का पालन करना होगा।
3. छ.ग. मू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत मू-व्यपर्वतन की शर्तों का पालन करना होगा।  
कमजोर वर्ग के मू-खण्डों/ भवनों का विकास/निर्माण प्रथमतः करना होगा।  
उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में निहित शर्तों तथा अनुदिनामोद अधिकारों (राजस्व) द्वारा दी गई अनापत्ति में निहित शर्तों का पालन करना होगा।
6. विकास कार्य पूर्ण करने के पश्चात् मू-खण्डों का व्ययन सक्षम अधिकारी से विक्रय अनुमति लेने के पश्चात् करने।
7. रेन वाटर हारवेस्टिंग एवं वाटर रिचार्ज इत्यादि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
8. अग्नि शमन संयंत्र हेतु प्रावधान रखना होगा।
9. सौर ऊर्जा से संचालित गर्म जल संयंत्र एवं सौर ऊर्जा से संचालित सोलर लाईट लगाना अनिवार्य होगा।
10. आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने हेतु कुल 16 मू-खण्डों में से 02 मू-खण्ड, कमांक 09 एवं 10 नगर पालिक निगम में बंधक रखा गया है। आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तथा बंधक मुक्त होने के पश्चात् ही उक्त मू-खण्डों को विक्रय करना होगा।
11. निम्न आय वर्ग के विक्रय हेतु मू-खण्ड कमांक 13, 13-ए एवं 13-बी आरक्षित रखना है।

M/s. SHRIJAN BUILDERS

PARTNER  
(ASHOK KUMAR AGRAWAL)

नगर पालिक निगम  
कोरबा  
नगर पालिक निगम